न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–उत्पाद अधिहरण वाद सं0–146/2017–18 राज्य बनाम बबीता देवी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
27.02.2018	*आदेश* पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4425/ही0शा0, दिनांक 21.12.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत महेशखूँट थाना कांड संख्या–136/2017 दिनांक 09.10.2017 में वादी पु0अ0नि0 श्री कमलेश्वर सिंह द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम काजीचक स्थित बबीता देवी पति स्व0 नारायण चौधरी के घर पर छापामरी की गयी। उनके घर बरामदा सीढ़ी के बगल पश्चिम कोने में एक प्लास्टिक के बोतल में 02(दो) लीटर एवं पीला रंग का गैलन में 02 लीटर महुआ देशी शराब जप्त किया गया। उक्त मकान का उपयोग महुआ देशी शराब लाकर खरीद बिक्री हेतु किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त सील बन्द मकान को अधिहरण का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, पुलिस निरीक्षक, गोगरी का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है:– जप्ती सूची के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त बबीता देवी पति स्व0 नारायण चौधरी सा0 काजीचक पिलित स्थान के पास थाना–महेशखूँट, जिला–खगड़िया के घर छापामरी किया गया। उनके घर बरामदा सिढ़ी के बगल में पश्चिम कोने में एक प्लास्टिक के बोतल में करीब 02 (दो) लीटर एवं एक पीला रंग का गैलन में करीब 02 (दो) लीटर देशी महुआ शराब जप्त किया गया। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। बबिता देवी पति स्व0 नारायण चौधरी, साकिन–काजीचक, थाना–महेशखूँट, जिला–खगड़िया को डी0बी0नं0 500 दिनांक 30.12.17 से	

नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0नं0 501/विधि, दिनांक 30.12.17 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी को भेजा गया।

विपक्षी की ओर से दिनांक 16.01.18 को हाजरी एवं वकालतनामा दी गयी तथा समय की मांग की गयी तथा उन्हें समय दिया गया। लेकिन वे सुनवाई के लगातार दो तिथियों पर अनुपस्थित रही। विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु वे जानबुझकर प्रक्रिया को बाधित करने की दृष्टि से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुई। उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर तथा न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहती है। इस स्थिति में विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4425/हि0शा, दिनांक 21.12.2017 के साथ संलग्न पु0अ0नि0 महेशखूँट थाना के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मकान का उपयोग ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त मकान अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत मकान से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत मकान को अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि सदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत मकान का उपयोग शराब कारोबार के लिए किया जा रहा था। प्रतिवादी द्वारा या उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि उनके मकान से शराब बरामद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मकान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि:–

1. इस अपराध में उपयोग में लाये गये मकान जो सीलबन्द किया हुआ है तथा जिसकी चौहद्दी पूरब– प्रमोद चौधरी पे0 शनिचर चौधरी का ईट खपड़ैल का मकान, पश्चिम–

पी0सी0सी0 ग्रामीण सड़क, उत्तर–दिलीप साह पे0 महेश्वर साह का परती जमीन, दक्षिण–सुबोध चौधरी पे0 गणेश चौधरी का छतदार मकान, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला घर किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।

2. कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे सील बन्द मकान का उचित मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।.
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता,
खगड़िया

समाहर्ता,
खगड़िया
5/3/2018